

33040
11/05/2022

पत्र संख्या: हिमालया /निवासी/शिकायत/0014

दिनांक: 11.05.2022

सेवा में ,
जन सूचना अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नंबर 1 नॉलेज पार्क 4 ग्रेटर नोएडा ,
जनपद गौतमबुद्धनगर ।

महोदय जी, में हिमालया प्राईड प्लॉट नंबर **GH-10 B** टेक जोन 4 नियर 1 मूर्ति ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी **201306**

पिछले 4 सालो से निवासी हूं कृपया करके जन सूचना अधिकार के तहत निम्न बिंदुओं का स्पष्टीकरण देने का कष्ट करे :-

1. बिल्डर के द्वारा दिए गए पूर्ण कॉमन एरिया को बताने का कष्ट करें ।
2. इसी तरह बिल्डर द्वारा इंडिपेंडेंट कॉमन एरिया को बताने का भी कष्ट करें ।
3. इसी तरह बिल्डर द्वारा लिमिटेड कॉमन एरिया को बताने का भी कष्ट करें ।
4. बिल्डर द्वारा प्राप्त की गई फायर **NOC** को भी बताने का भी कष्ट करें ।
5. मैं जानना चाहता हूं कि क्या निविदा दस्तावेज ब्रोशर, आवंटन के नियम और शर्तों या बिल्डर प्लॉट के लीज डीड में, या यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में, या ग्रेटर नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन बायलॉज में कोई क्लॉज मौजूद है, कि क्या कोई कमर्शियल स्पेस या कोमन एरिया/सुविधाजनक दुकानें हैं युप हाउसिंग सोसाइटी में उपनियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति बिल्डर प्रमोटर द्वारा आवंटित या बेचने की अनुमति दी जा सकती है। कृपया बताने का भी कष्ट करें ।
6. महोदय जी आपके बिल्डिंग बायलॉज ओर अपार्टमेंट एक्ट 2010 के हिसाब से बिल्डिंग हाईट के हिसाब से **61** मीटर बिल्डिंग हाईट पर रोड का साइज कितने मीटर चौड़ा होना चाहिए और उस पर परमानेट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है तथा परमानेट पार्किंग दी जा सकती है । कृपया बताने का भी कष्ट करें ।

उपरोक्त सभी सीरियल नंबर 1 से 6 तक का स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि देने का कष्ट करे अपकी अति कृपा होगी ।

भवदीय ,
नरेश नौटियाल , 9810336361
A 714 हिमालया प्राईड टेक जोन 4
ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी **201306**

RTI - 20565
P10 Planning

AP
12/15/22